न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 24/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/81

प्रार्थी बनाम

1. राधा पुत्री श्री मोहनराम पत्नी श्री राधाकिशन
2. सिंवरी पुत्री मोहनराम पत्नी श्री सीताराम
3. धापूड़ी पुत्री श्री मोहनराम पत्नी श्री वलदेवराम जाति जाट निवासीगण जनाणा तेहसील मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र श्री कालूराम
2. लीला पुत्री श्री मोहनराम
3. विमला पुत्री श्री मोहनराम
4. परमा पत्नी श्री सत्यनारायण
5. कौशल्या पुत्री सत्यनारायण
6. पूजा पुत्री सत्यनारायण

तमाम जाति जाट निवासीगण जनाणा तेहसील मूण्डवा जिला नागौर अप्रार्थी संख्या छः नाबालिग जरिए संरक्षक माता परमा अप्रार्थी संख्या चार

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।

आदेश **दिनांक–** 04/10/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर में विचाराधीन प्रकरण राधा वगैराह बनाम मोहनराम वगैराह राजस्व वाद संख्या 8/2020 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 8/2020 की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या एक से छः के संयुक्त खातेदारी संयुक्त कब्जे कास्त की बडेर की भूमि खसरा संख्या 400, 406, 407, 410, 416, 467 कुल रकबा 15.1757 हैक्टर वाके मौजा जनाणा में आई हुई है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा कालूराम के खातेदारी कब्जे की भूमि थी। हिन्दू उताधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण का इस सम्पूर्ण भूमि में जन्मजात अधिकार है मगर कालूराम की मृत्यु पश्चात अकेले अप्रार्थी मोहनराम के नाम भूमि चढ़ गई। वादग्रस्त उपरोक्त प्रत्येक खसरो की सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/7, 1/7 हिस्सा रहा है।

प्रार्थीगण के भाई सत्यनारायण की अभी लगभग एक डेढ़ साल पूर्व मृत्यु हो गई। अप्रार्थीगण संख्या चार से छः सत्यनारायण के उतराधिकारी है। सत्यनारायण की मृत्यु पश्चात मोहनराम का अप्रार्थी संख्या चार से छः के प्रति अत्यधिक मोह [illegible] पांच ने इस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर नब्बे वर्षीय वृद्ध मोहनराम से उप[illegible] की भूमि को अपने नाम हस्तान्तरित करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस ब[illegible] उपरोक्त तमाम तथ्यो का कथन करते हुए सहायक जिलाधीश (मु[illegible], विभाज[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया साथ के साथ [illegible] भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात तत्कालीन सहायक जिलाधीश ने अप्रार्थी के विरूद्ध वादग्रस्त खसरो की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे में हस्तक्षेप, दखल नहीं डालने, भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने, रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जो आज दिन तक कायम है।

अप्रार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय में जवाब आने पर मालूम हुआ कि अप्रार्थी संख्या चार व पांच ने मोहजाल में फंसे व मोहनराम की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि के अधिकांश खसरो की भूमि का अवैध हस्तान्तरण मोहनराम से अपने नाम करवा लिया जिसमे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का भी हस्तान्तरण करवा लिया। सम्पूर्ण भूमि में मोहनराम का मात्र 1/7 हिस्सा था लेकिन पूरे पूरे खसरो की भूमि का हस्तान्तरण करवा लिया जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।

अभी कुछ समय पहले गांव जनाणा में पदस्थापित पटवारी ने अपने लड़के का रिशता (सगाई) अप्रार्थी संख्या पांच कौशल्या के साथ किया है। जनाणा पटवारी जो अप्रार्थी संख्या पांच का ससुर है सगाई के बाद से प्रार्थीगण को लगातार धमकी दे रहा है कि सहायक जिलाधीश उसके मिलने वाले है और उसने प्रार्थीगण के पक्ष में जारी स्टे को तुड़ाने की बात सहायक जिलाधीश से कर ली है। एक दो पेशी में वह स्टे तुड़वाकर वादग्रस्त भूमि का म्यूटेशन अप्रार्थी संख्या चार से छः के नाम भरकर भूमि का आगे बेचान हस्तान्तरण करायेगा और प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करेगा।

दिनांक 25.6.2021 को प्रार्थीया सिंवरी पेशी तारीख पर नागौर आई हुई थी तब उसने देखा कि अप्रार्थी संख्या पांच का ससुर वर्तमान गांव जनाणा पदस्थापित पटवारी सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) नागौर के कमरे में गया तथा लगभग पन्द्रह मिनट बाद वापस कमरे से निकल कर बाहर आया। प्रार्थीया सिंवरी को बाहर देखकर पटवारी ने कहा कि तेरा स्टे आज ही तुड़वा दूंगा मैने सारी बात कर ली है। यह कहकर वहां से चला गया।

प्रार्थीया सिंवरी ने यह बात अपने अधिवक्ता को बताई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता न्यायालय में गये तो उन्होंने देखा कि कोरोना महामारी के दिशा निर्देशो की पालना में अन्य सभी मुकदमो में एक ही तारीख दी जा चुकी है मगर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा में पेशी तारीख नहीं दी गई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सहायक जिलाधीश महोदय से अन्य पत्रावलियो में दी गई तारीख अनुसार तारीख देने का कहा तब तारीख नहीं देकर सहायक जिलाधीश महोदय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर बहस सुनाने का दबाव डाला गया तथा अन्त में बड़ी मुशिकल से 15,7.21 की तारीख दी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस सूची दस्तावेज के साथ जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम जनाणा तहसील नागौर संवत 2020 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मोहनराम के पिता कालूराम की पुश्तेनी भूमि है, जो उक्त जमाबन्दी स्पष्ट है।

इस प्रकार अन्य पत्रावलियो से भिन्न व अत्यधिक नजदीक तारीख बड़ी मुशिकल से दी गई। इस प्रकार पटवारी द्वारा दी गई धमकी की पुष्टि हो गई। प्रार्थीगण को सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) नागौर से राजस्व वाद संख्या 8/20 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 8/20 वअनवान राधा वगैरा बनाम मोहनराम वगेरा में न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने का कथन करते हुए सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) नागौर की अदालत में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 8/20 व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 8/20 वअनवान राधा वगैरा बनाम मोहनराम वगैरा की पत्रावलिया सुनवाई हेतु किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. अक्टू.2002 पेज 578–580, आर.आर.डी. 14.09.2009 पेज 585–588, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 516–519 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील अप्रार्थी श्री कैलाश [illegible] ने [illegible] बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मोहनराम की खरीदसुदा भूमि [illegible] जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा स्वअर्जित सम्पति के संबंध में [illegible] कार्यवाही की [illegible] है तथा सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में विचाराधीन वाद व प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्य व दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये है जिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

दस्तावेजात से उक्त खेताय खसरा 2. नं, 467, 410, 406, 416 जो अप्रार्थी मोहनराम के खरीदसुदा है जिनमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है फिर भी गलत रूप से उपरोक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताकर एकपक्षीय रूपसे स्थगन आदेश पारित करवा लिया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राज0टि0 एक्ट की पत्रावली ज्यो ही बहस में आई तो प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन मेलाफाईड इन्टेनशन से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 9.7.2020 व 10.7.2020 के विरूद्व एक अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष पेश की गयी जिसमें भी प्रार्थीगण राधा वगैरा ने राजस्व अपील अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना लिख कर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष ट्रांसफर आवेदन पेश कर दिया, जिससे साबित है कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में बहस करना नहीं चाहते है तथा फाईल ज्यो ही बहस में आती है तो हर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर ऐसे आवेदन पेश कर देते है जिसमें सहायक कलक्टर मुख्यालय में विचाराधीन प्रकरण की न्यायालय हाजा के समक्ष आक्षेप लगाकर गलत आवेदन पेश किया है व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष विचाराधीन अपील में राजस्व अपील अधिकारी नागौर पर अपीलांट से मिलावट होने का गलत आक्षेप लगाकर राजस्व मण्डल अजमेर में ट्रांसफर आवेदन पेश किया जिससे साबित है कि प्रार्थीगण राधा वगैरा उपरोक्त खेताय पर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित करवा कर अब मामला को लम्बा करना चाहते है व किसी भी न्यायालय को आदेश पारित नहीं करने देते है व गलत आक्षेप लगाकर विचाराधीन प्रकरण में अनावश्यक देरी करते है।

अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण ने पुश्तेनी भूमि बताकर गुमराह करते हुऐ एकपक्षीय रूप में गलत स्थगन आदेश पारित करवाया है। मोहनराम स्वस्थचित है तथा अपनी स्वअर्जित सम्पति का हर प्रकार से उपयोग उपभोग हस्तान्तरण करने का उन्हें विधिक अधिकार है। यह गलत है कि मोहनराम का 1/7 हिस्सा ही हो।

प्रार्थी ने आवेदन का पैरा संख्या 5 में तमाम तथ्य असत्य व अप्रांसगिक दर्ज किये है जिनके आधार पर कोई पत्रावली मुन्तकिल नहीं की जा सकती है। आवेदन के पैरा संख्या 6 में प्रार्थीगण ने बार बार असत्य तथ्यो की पुनरावृति कर रहे है कभी पटवारी पर तो कभी राजस्व अधिकारियो के विरुद्व मिथ्या आक्षेप लगाये जा रहे है जिनका कोई आधार नहीं है इस तरह के आक्षेप माने जाने योग्य है।

प्रार्थी का आवेदन का पैरा संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने स्वअर्जित सम्पति को पुरतेनी बताकर गलत रूप से एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया व उक्त आदेश को लम्बित रखने के दुराशय से बार बार मिथ्या आवेदन पेश कर रहे है।

प्रार्थी का आवेदन का पैरा संख्या 8 अस्वीकार है। पटवारी वगैरा ने कोई धमकी नहीं दी न ऐसी कोई साक्ष्य है केवल मात्र मुन्तकिल आवेदन पेश करने की गरज से इस तरह के बनावटी व मिथ्या तथ्य दर्ज किये है जो माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन, बलहीन, मिथ्या आधारो पर विधि विरुद्व पेश किये जाने का कथन करते हुए प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर में विचाराधीन वाद राजस्व वाद संख्या 8/20 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 8/20 वअनवान राधा वगैरा बनाम मोहनराम वगेरा को जिस प्रकार से आरोप लगाकर न्याय नही मिलने कथन करते हुए उक्त राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन को अन्य [illegible] जिलाधीश के न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी के कथनानुसार कुछ समय पहले [illegible]नाणा में पदस्थापित पटवारी ने अपने लड़के का रिशता (सगाई) अप्रार्थी संख्या पांच कौशल्या के साथ किया है और पटवारी द्वारा सगाई के बाद से प्रार्थीगण को लगातार धमकी दे रहा है कि सहायक जिलाधीश उसके मिलने वाले है और उसने प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर न्यायालय नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

के पक्ष में जारी स्टे को तुड़ाने की बात सहायक जिलाधीश से कर ली है। एक दो पेशी में वह स्टे तुडवाकर वादग्रस्त भूमि का म्यूटेशन अप्रार्थी संख्या चार से छः के नाम भरकर भूमि का आगे बेचान हस्तान्तरण करायेगा और प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करेगा। दिनांक 25.6.2021 को प्रार्थीया सिंवरी पेशी तारीख पर नागौर आई हुई थी तब उसने देखा कि उक्त पटवारी सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) नागौर के कमरे में गया तथा लगभग पन्द्रह मिनट बाद वापस कमरे से निकल कर बाहर आया। प्रार्थीया सिंवरी को बाहर देखकर पटवारी ने कहा कि तेरा स्टे आज ही तुड़वा दूंगा मैने सारी बात कर ली है। यह कहकर वहां से चला गया। प्रार्थीया सिंवरी ने यह बात अपने अधिवक्ता को बताई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता न्यायालय में गये तो उन्होंने देखा कि कोरोना महामारी के दिशा निर्देशो की पालना में अन्य सभी मुकदमो में एक ही तारीख दी जा चुकी है मगर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा में पेशी तारीख नहीं दी गई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सहायक जिलाधीश महोदय से अन्य पत्रावलियो में दी गई तारीख अनुसार तारीख देने का कहा तब तारीख नहीं देकर सहायक जिलाधीश महोदय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर बहस सुनाने का दबाव डाला गया तथा अन्त में बड़ी मुश्किल से 15.7.21 की तारीख दी गई। वकील प्रार्थी का यह भी कथन रहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मोहनराम के पिता कालूराम की पुश्तेनी भूमि है, जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम जनाणा तहसील नागौर संवत 2020 से स्पष्ट है।

वकील प्रार्थी के उक्त कथनों के संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 467, 410, 406, 416 की भूमि अप्रार्थी मोहनराम की खरीदसुदा भूमि जिनमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है फिर भी गलत रूप से उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताकर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित करवा लिया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राज0टी0 एक्ट की पत्रावली जैसे ही बहस में आई तो प्रार्थीगण द्वारा मेलाफाईड इन्टेशन से यह आवेदन पेश कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) नागौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2020 व 10.07.2020 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 300 / 2021 परमा बनाम राधा है, उक्त अपील में भी प्रार्थीगण राधा वगैरह ने राजस्व अपील अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना लिख कर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष ट्रांसफर आवेदन पेश कर दिया, जिससे साबित है कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में बहस करना नहीं चाहते है तथा फाईल ज्यो ही बहस में आती है तो हर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर ऐसे आवेदन पेश कर देते है जिसमें सहायक कलक्टर मुख्यालय में विचाराधीन प्रकरण की न्यायालय हाजा के समक्ष आक्षेप लगाकर गलत आवेदन पेश किया है व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष विचाराधीन अपील में राजस्व अपील अधिकारी नागौर पर अपीलांट से मिलावट होने का गलत आक्षेप लगाकर राजस्व मण्डल अजमेर में ट्रांसफर आवेदन पेश किया जिससे साबित है कि प्रार्थीगण राधा वगैरा उपरोक्त खेताय पर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित करवा कर अब मामला को लम्बा करना चाहते है व किसी भी न्यायालय को आदेश पारित नहीं करने देते है व गलत आक्षेप लगाकर विचाराधीन प्रकरण में अनावश्यक देरी करते है। प्रार्थीगण कभी पटवारी पर तो कभी राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध मिथ्या आक्षेप लगाये जा रहे है, जिनका कोई आधार नहीं है। पटवारी वगैरा ने कोई धमकी नहीं दी न ऐसी कोई साक्ष्य है। एकपक्षीय आदेश को लम्बित रखने के दुराश्य से प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में सहायक कलक्टर(मु0) नागौर [illegible] दर्ज टिप्पणी दिनांक 30.07.21 के अनुसार दिनांक 25.06.2012 को जनाणा प[illegible] आने व 15 मिनट रूकने के प्रार्थीगण के कथन को गलत बताय[illegible] प्रकरण में ज[illegible] सहायक जिलाधीश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर बहस सुनने का व[illegible] एवं अन्त में बड़ी मुश्किल से 15.7.21 की तारीख दी जाने के कथन को गलत होना बताया एवं [illegible]णी में उल्लेख किया कि तारीख दोनों पक्षों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

सामने दी जाती है। वकील अप्रार्थी ने लम्बी तारीख नहीं लेने दी तथा कहा कि स्थगन गलत लिया गया है।

हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं पटवारी पर आक्षेपों लगाते हुए जिस प्रकार से कथन किये है, उन कथनों को अप्रार्थीगण व अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत होना बताया है। वकील प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं पटवारी पर लगाये गये उपर्युक्तानुसार आक्षेपों के संबंध में कथन एवं प्रार्थीगण ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। केवल ऐसे कथन व प्रार्थीगण के शपथ पत्र मात्र के आधार पर प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने से न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों आदि के सन्दर्भ में हूबहू चस्पा नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:40 IST
Reason: SelfAttested